राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1940/2024

सुमन करोडिया —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
3. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
4. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, बिजौलिया, भीलवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 03.06.2024
आदेश की दिनांक : 04.06.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी की अपील में अभिकथन है कि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर तहसील कार्यालय बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसील कार्यालय बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा से कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर में किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश में शर्त संख्या 3 निम्न प्रकार हैः—

   '' उपरोक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक निलम्बित/परीवीक्षाकाल में हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे व उक्त आदेश निरस्त समझा जावे।''

   उक्त शर्त के कारण अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया, क्योंकि अपीलार्थी परीवीक्षाकाल में था।
3. वर्तमान में अपीलार्थी का 2 वर्ष का परीवीक्षा काल पूरा हो चुका है एवं आदेश दिनांक 25.05.2024 (अनुलग्नक—4) द्वारा परीवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निर्धारित वेतन नियतन किया जा चुका है। ऐसे में अब उक्त शर्त अपीलार्थी पर लागू नहीं होती है। अपीलार्थी को कार्यमुक्त केवल इस आधार पर नहीं किया गया था कि अपीलार्थी परीवीक्षा काल में है। वर्तमान में अपीलार्थी का परीवीक्षाकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में अपीलार्थी को

कार्यमुक्त किय जाने के संबंध में पारित स्थानान्तरण आदेश की पालना में कोई बाधा नहीं रही है।

4. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा परीवीक्षा अवधि पूर्ण की जा चुकी है। अतः स्थानान्तरण आदेश में अंकित शर्त का अब प्रभाव नहीं रह गया है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एव प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य